(स्पीड पोस्ट)

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, एन.एस–बी/2, पाटलीपुत्र, औद्योगिक क्षेत्र,
पो0–सदाकत आश्रम, पटना–800010

पत्रांकः पटना, दिनांकः

प्रेषक,

एस0 चन्द्रशेखर,भा0व0से0

सदस्य–सचिव

सेवा में,

सदस्य सचिव,

राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,

बेल्ट्रोन भवन, शास्त्री नगर,

पटना–800023.

विषयः **मेसर्स माँ लक्ष्मी क्रिएटिव प्रा० लिमिटेड, निर्देशकः श्री अजय कुमार एवं चुनचुन कुमार, पताः आर/ओ– ग्राम+पोस्ट– तुंगी, थाना– हिसुआ, जिला– नवादा द्वारा मोरहर नदी के ब्लॉक– 20(गया मोरहर– 07) बालू घाट मौजा– खुसडीहरा, महादेवपुर, रामपुर, तड़वा अंचल– परैया, जिला– गया में स्थित बालू घाट से बालू उत्खनन कार्य हेतु सम्पन्न लोक सुनवाई के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषयक के प्रसंग में सूचित करना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–S.O. 1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के आलोक में मेसर्स माँ लक्ष्मी क्रिएटिव प्रा० लिमिटेड, निर्देशकः श्री अजय कुमार एवं चुनचुन कुमार, पताः आर/ओ– ग्राम+पोस्ट– तुंगी, थाना– हिसुआ, जिला– नवादा द्वारा मोरहर नदी के ब्लॉक– 20(गया मोरहर– 07) बालू घाट मौजा– खुसडीहरा, महादेवपुर, रामपुर, तड़वा अंचल– परैया, जिला– गया से बालू खनन हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में दिनांकः 13.02.2024 को सम्पन्न लोक सुनवाई का वृत, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नकः यथोपरि।

विश्वासभाजन

ह0/–
(एस0 चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव

ज्ञापांक :–   पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नकः यथोपरि।

ह0/–
(एस0 चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव

ज्ञापांक :–   पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपिः– मेसर्स माँ लक्ष्मी क्रिएटिव प्रा० लिमिटेड, निर्देशकः श्री अजय कुमार एवं चुनचुन कुमार, पताः आर/ओ– ग्राम+पोस्ट– तुंगी, थाना– हिसुआ, जिला– नवादा द्वारा मोरहर नदी के ब्लॉक– 20(गया मोरहर– 07) बालू घाट मौजा– खुसडीहरा, महादेवपुर, रामपुर, तड़वा अंचल– परैया, जिला– गया को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नकः यथोपरि।

ह0/–
(एस0 चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव

ज्ञापांक :– 577   पटना, दिनांक :– 01.3/24.

प्रतिलिपिः–श्री नीरज कुमार, सहायक प्रोग्रामर, बि. रा. प्र. नि. पर्षद्, पटना को निदेश है कि दिनांकः 13.02.2024 को की गई लोक सुनवाई का वृत, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति पर्षद् के वेबसाईट पर डिसप्ले कराया जाय। दिनांकः 13.02.2024 को की गई लोक सुनवाई का वृत, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति संलग्न की जा रही है।

अनुलग्नकः यथोपरि।

01/3/24
(एस0 चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव

दूरभाष नं0–0612.2261250,2262265,फैक्स नं0–0612.2261050ई–मेल–msbspcb-bih@gov.in,वेबसाईट–http://bspcb.bihar.gov.in
"D:\BSPCB\PC-17\P.H\LETTER SEIAA.docx"

लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स माँ लक्ष्मी क्रिएटिव प्रा० लिमिटेड, निदेशकः श्री अजय कुमार एवं चुनचुन कुमार, पताः आर/ओ–ग्राम+पोस्ट–तुंगी, थाना–हिसुआ, जिला–नवादा द्वारा मोरहर नदी के ब्लॉक–20 (गया मोरहर–07) बालू घाट मौजा–खुसडीहरा, महादेवपुर, रामपुर, तड़वा अंचल–परैया, जिला–गया अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् दिनांक 13.02.2024 को अपराह्न 04:00 बजे अंचल कार्यालय, परैया, जिला–गया के प्रागंण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2469/2023, dated 10.09.2023 के आलोक में श्री डा0 शशि शेखर, अपर समाहर्ता (विधि व्यवस्था), गया (जिला पदाधिकारी, गया के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 13.02.2024 को अपराह्न 04:00 बजे अंचल कार्यालय, परैया, जिला–गया में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न **(अनुलग्नक–1)**

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 12.01.2024 को प्रकाशित की गयी थी **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक–सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गया द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा गया मोरहर नदी के ब्लॉक–20 (गया मोरहर–07) बालू घाट मौजा–खुसडीहरा, महादेवपुर, रामपुर, तड़वा अंचल–परैया, जिला–गया के लेसी को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तद्नुसार लेसी के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उदेश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव मॉगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतीश कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 2 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनी प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु वाहनो में ध्वनी यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नही किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः है:–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया/सुझाव
1.	श्री अभय कुमार, पताः रामपुर, जिलाः गया।	इनके द्वारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उस पर सरकार क्या कारवाई कर रहा है, इस संबंध में प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहाकार द्वारा बताया गया कि पर्यावरण प्रदूषित न हो इस संबंध में बताया कि बालू लदे वाहनों के परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा। साथ ही बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से तिरपाल से ढ़क कर ही परिवहन किया जायेगा। इसप्रकार श्री अभय कुमार एवं श्री यतीन्द्र कुमार सिंह को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
2.	श्री यतीन्द्र कुमार सिंह, पताः कजरी, जिलाः गया।	
3.	श्री विक्की कुमार, पताः महादेवपुर, जिलाः गया।	इनके द्वारा खनन परियोजना के दौरान ग्रामीण सड़क खराब होने से संबंधित प्रश्न पूछा गया एवं सुझाव दिया गया कि बालू खनन का कार्य सरकार के नियमानुसार किया जाना चाहिए। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान जो भी ग्रामीण सड़क टूटेगा, उसकी मरम्मती

		एवं रख–रखाव लेसी के द्वारा कराया जायेगा। साथ ही दिये गये सुझाव को प्रस्तावक प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया गया। इसप्रकार श्री विक्की कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतष्ट किया।
4.	श्री संजीव कुमार, पताः रामपुर, जिलाः गया।	इनके द्वारा खनन कार्य के दौरान पर्यावरण में होने वाले सुधार के लिए क्या निति है से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि **वायु प्रदूषण नियंत्रण की रोक–थाम हेतु निम्न कार्य किया जायेगाः**–बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर परिवहन किया जायेगा साथ ही खनन क्षेत्र के आस–पास सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जायेगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों के कृषि भूमि पर धुलकण का कुप्रभाव न हो। **जल प्रदूषण नियंत्रण की रोक–थाम हेतु निम्न कार्य किया जायेगाः**–बालू खनन क्षेत्र में बालू की खुदाई 2 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। **ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण की रोक–थाम हेतु निम्न कार्य किया जायेगाः**–लेसी के द्वारा पुराने वाहनो का संचालन नही करने का निदेश दिया गया एवं साथ ही तीव्र ध्वनि वाले हॉर्न का उपयोग वर्जित रखने का निदेश दिया गया। उपरोक्त सभी कार्यो को करने से पर्यावरण पर कोई क्षति नही पुहँचेगी तथा बालू खनन से सरकार के राजस्व में भी वद्धि होगा। इसप्रकार श्री संजीव कुमार को अपना जवाब

		प्रस्तुत कर संतुष्ट किया गया।
5.	श्री डबलु कुमार, पताः कजरी, जिलाः गया।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन उपरांत बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु दिन में नियमित रूप से जल का छिड़काव किया जाय, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर परिवहन किया जाय साथ ही स्थानीय नागरिको को प्राथमिकता देते हुये रोजगार दिया जाय। उपरोक्त सुझाव को प्रस्तावक प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया गया।

अध्यक्ष द्वारा (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। बालू की खुदाई 2 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निदेश का अनुपालन किया जायेगा।

जन–सुनवाई के अतं में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को प्रारंभ करन के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

13.2.24 क्षेत्रीय पदाधिकारी बि.रा.प्र.नि.पर्षद्, गया	13/02/24 अपर समाहर्त्ता (वि० प्र०) गया

उपस्थिति सूची

मेसर्स माँ लक्ष्मी क्रिएटिव प्रा० लिमिटेड, निर्देशकः श्री अजय कुमार एवं चुनचुन कुमार, पताः आर/ओ– ग्राम+पोस्ट– तुंगी, थाना– हिसुआ, जिला– नवादा द्वारा मोरहर नदी के ब्लॉक– 20(गया मोरहर– 07) बालू घाट मौजा– खुसडीहरा, महादेवपुर, रामपुर, तड़वा अंचल– परैया, जिला– गया का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांकः 13.02.2024 को 02:00 बजे अपराह्न में अंचल कार्यालय, परैया, जिला–गया में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र0सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	चुनचुन कुमार	ग्रा० + पो० - तुंगी - थाना - हिसुआ जिला - नवादा	चुनचुन कुमार
2.	मनोरंजन कुमार सिंह	क्षेत्रीय पदाधिकारी, बि० रा० प्र० नि० पर्षद, गया।	[signature] 13.2.24
3.	अजय कुमार	At PO - Rajwara Dist - Gaya.	Ajay Kumar
4.	धर्मवीर कुमार	खुशडिहरा	धर्मवीर कुमार
5.	रंजीत कुमार	कजरी	रंजीत कुमार
6.	रवि कुमार	महादेवपुर	Ravi [signature]
7.	यतीन्द्र सिंह 9934016899	कजरी	yatindra kumar
8.	Binni Kumar	महादेवपुर	Binni Kr

[signature]

अपर जिला दण्डाधिकारी, गया

9.	उमेश सिंह 7739241777	महादेवपुर	उमेश सिंह
10.	दिनेश कुमार 7350722805	कजरी	दिनेश कुमार
11.	विनोद कुमार 9576845571	महादेवपुर	विनोद कुमार
12.	Kundan-Kumar. 9661230621	Khushdehra	Kundan-Kumar
13.	संजीव कुमार	कजरी	संजीव कुमार 9771871690
14.	शंकर यादव 9955586562	महादेवपुर	शंकर यादव
15.	डब्लू कुमार 9939412929	कजरी	डब्लू कुमार
16.	अभय कुमार	रामपुर	9934683119 Abhay Kumar
17.	राजू कुमार 9162636919	कोभडीहा	Raju Kumar
18.	रोहित कुमार 8092520906	कजरी	रोहित कुमार
19.	अभय कुमार 9934427763	रवीसुनपुर	अभय कुमार

20.	Shyam Kumar 9835751039	रामपुर	Shyam Kumar
21.	Bittu Ranjan 8709962300	रामपुर	Bittu Ranjan
22.	निर्मल कुमार 8969953400	इटहरी	निर्मल कुमार
23.	Navneet Kumar 9852481105	मंझिआवाँ	Navneet Kumar
24.	छोटू कुमार 9304994833	लोदीपुर	छोटू कुमार
25.	मुन्ना कुमार 9771131080	लोदीपुर	Munna Kumar
26.	Mukesh Kumar 9708093070	महादेवपुर	Mukesh Kumar
27.	निवारन सिंह 6203243916	"	निवारन सिंह
28.	सतीश कुमार	महादेवपुर	सतीश कुमार
29.	विकास कुमार 7764829516	रामपुर	विकास कुमार
30.	आनन्दी सिंह	महादेवपुर	आनन्दी सिंह

अपर जिला दण्डाधिकारी
विधि व्यवस्था, गया

31.	बन्टी कुमार	कोनडिहरा	बन्टी कुमार
32.	रिकखी सिंह	सलेमपुर	रिकखी सिंह
33.	अश्विनी कुमार 8271062265	कजरी	Ashwani
34.	माधो सिंह	सलेमपुर	Madhu Singh
35.	प्रिय रंजन कुमार	कजरी	Priya Ranjan Kr
36.	Ajay Kumar	Khushdihera	Ajay Kr
37.	Sanjay Kumar Singh	Khushdira	[illegible]
38.	नीतीश कुमार	Cognizance India, Pvt. Ltd. Noida. (Env. consultant)	Nitish ku
39.	कुन्दन कुमार	ग्राम+पो० - कुंडी - थाना सिरदला - जिला - नवादा।	
40.			
41.			

13/02/24

बिहार सरकार

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

ई–मेल msbspcb-bih@gov.in, वेबसाईट-http://bspcb.bihar.gov.in

लोक–सुनवाई की सूचना

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533, दिनांक 14.09.2006 एवं समय समय पर संशोधित अधिसूचनाओं के आलोक में राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के समक्ष मेसर्स श्री लक्ष्मी क्रिएटिव प्रा० लिमिटेड, निदेशक श्री अजय कुमार एवं मुनमुन कुमार, पता: आर/ओ– ग्राम+पोस्ट– तुंगी, थाना– हिसुआ, जिला– नवादा द्वारा मोरहर नदी के ब्लॉक– 20 (गया मोरहर– 07) बालू घाट मौजा– खुसडीहरा, महादेवपुर, रामपुर, तड़वा, अंचल– परैया, जिला– गया में प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रस्ताव विचाराधीन है।

इस परियोजना के कार्यान्वयन से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा TOR (Terms of Referance) निर्गत की गयी है तथा लोक–सुनवाई की जानी है।

परियोजना का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया गया है। जिसमें संभावित कुप्रभावों को निरस्त करने के उपाय प्रस्तावित हैं। उक्त प्रतिवेदन तथा परियोजना के कार्यपालक सार की प्रति पर्षद् मुख्यालय, पटना, जिला पदाधिकारी, गया, कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, गया, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया एवं जिला खनन कार्यालय, गया के कार्यालय में प्रभावित क्षेत्र के लोगों के अवलोकनार्थ उपलब्ध है। परियोजना की विवरणी का अवलोकन पर्षद् के वेबसाईट http://bspcb.bihar.gov.in पर भी किया जा सकता है। वैसे व्यक्ति जो इस परियोजना से प्रभावित होने वाले हों, अपना लिखित सुझाव, विचार एवं मंतव्य इस सूचना प्रकाशन के 30 (तीस) दिनों के अन्दर पर्षद् कार्यालय में जमा कर सकते हैं। साथ ही पर्षद् के ई–मेल: msbspcb-bih@gov.in पर अथवा डाक के माध्यम से भी लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य भेजी जा सकती है।

परियोजना से प्रभावित क्षेत्र के नागरिकों के लिए लोक–सुनवाई निम्नानुसार आहूत किया गया है:–

तिथि	समय	[illegible] का नाम	बालू घाट का मौजा	[illegible]	लोक-सुनवाई का स्थल
13.02.2024	अपराह्न 02:00 बजे	परैया	गया जिला अन्तर्गत मौजा– खुसडीहरा, महादेवपुर, रामपुर, तड़वा।	ब्लॉक 20 (गया मोरहर– 07)	अंचल कार्यालय परैया, जिला–गया

सभी आम लोगों/संबंधित से अनुरोध है कि उपरोक्त लोक–सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा निर्गत कोविड–19 गाईड–लाईन का पालन करते हुए परियोजना के संबंध में अपने मंतव्य/सुझाव/विचार से अवगत करायेंगे।

मूल सूचना www.state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है।

PR-15077 (NI NI) 2023-24

नशे से बनानी दूरी है, क्योंकि परिवार जरूरी है

सदस्य सचिव

लोक-सुनवाई
दिनांक: 13.02.2024

सुनवाई